विस्तार 2×500 मेगावाट, कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना 600 मेगावाट, गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजना 650 मेगावाट एवं चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह का विस्तार 2×500 मेगावाट परियोजनाओं के विस्तार का कार्य पूरा किये जाने की संभावना है और क्या इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त होगी ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता में से मध्य प्रदेश को कितनी बिजली दी जा सकेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) के निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) विन्ध्याचल ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (2×500 मेगावाट)

परियोजना के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में रूस के साथ विचार-विमर्श किया गया । परियोजना को आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जाने हेतु, योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है जिसके लाभ नौवीं योजना के दौरान प्राप्त होंगे ।

(2) कवास गैस विद्युत परियोजना (645 मेगावाट) :

106-106 मेगावाट के चार गैस टर्बाइन पहले ही चालू किए जा चुके हैं ।

110.5-10.5 मेगावाट के शेष दो भाप-टर्बाइनों को चालू किए जाने सम्बन्धी कार्यक्रम की तिथियां क्रमशः मई, 1993 तथा सितम्बर, 1993 हैं ।

(3) गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजना (650 मेगावाट)

परियोजना की पहली गैस टर्बाइन को चालू किए जाने सम्बंधी कार्यक्रम की तिथि मार्च, 1994 है तथा प्रत्येक 2 महीने के अन्तराल से अनुवर्ती गैस टर्बाइन यूनिटों को चालू किया जाएगा । सितंबर, 1995 तक भाप टर्बाइन यूनिट को चालू किए जाने का कार्यक्रम है ।

(4) चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मेगावाट)

कोल लिंकेज की अनुपलब्धता के कारण परियोजना की प्रक्रिया पर कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् मध्य प्रदेश के लिए इन परियोजनाओं से बिजली का आबंटन केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों की बिजली के आबंटन हेतु मान्य केन्द्रीय फार्मूलों के अनुसार किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1320. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संसाधनों की कमी के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या किसी परियोजना को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा चुका है, यदि हां, तो उनकी क्या स्थिति है ; और

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र भागीदारी हेतु विज्ञापित किया गया है :—

1. पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मे० वा०)

2. बीसिंहपुर ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मे० वा०)

3. कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मे० वा०)

4. तावा जल विद्युत परियोजना (12 मे० वा०)

5. महेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मे० वा०)

6. बाणसागर विद्युत घर–2 जल विद्युत परियोजना (2×15 मे० वा०)

7. बाणसागर विद्युत घर–3 जल विद्युत परियोजना (3×20 मे० वा०)

8. बाणसागर विद्युत घर–4 जल विद्युत परियोजना (2×10 मे० वा०)

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा पेंच ताप विद्युत केन्द्र को निजीक्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु मैसर्स सैन्चुरी पावर को सौंपा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना के तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के सन्दर्भ में उक्त कम्पनी को विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और बोधघाट विद्युत परियोजनाओं का पूर्ण किया जाना

1321. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और बोधघाट परियोजना को कब तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस समय ओंकारेश्वर और बोधघाट परियोजनाओं की स्वीकृति की क्या स्थिति है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) हाल ही के चालू करने संबंधी कार्यक्रम के अनुसार इन्दिरा सागर (नर्मदा सागर) (8×125 मेगावाट) तथा महेश्वर (10×40 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं को नौवीं योजना के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

बोधघाट जल विद्युत परियोजना, जिसे मूलतः 1988–91 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम था, का निर्माण कार्य वन संबंधी स्वीकृति के अभाव में रुक गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सामाजिक पहलुओं सहित परियोजना का व्यापक विश्लेषण किए जाने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में संशोधित परियोजना रिपोर्ट परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अक्तूबर, 1992 में केन्द्रीय जल आयोग को पुनः भेज दी गयी है। केन्द्रीय जल आयोग से इसके प्राप्त होने के बाद के० वि० प्रा० द्वारा आगे जांच की जायेगी।

Losses to State Electricity Boards

1322. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of POWER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4360 given in the Rajya Sabha on 18th August, 1992 and state :

(a) whether Government has analysed the causes for losses to SEBs; if so, the details thereof:

(b) what steps are being taken to offset these losses; and

(c) whether Government also propose to restructure these Boards to improve their functioning, if so, the details thereof?